ल अधिकारी का न्यायालय मानगो, बी0 पी0 एल0 ई0 वाद संख्या– 01/2020–21

दिनांक	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
28/7/20	अभिलेख उपरथापित किया गया। यह वाद से संबंधित क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया था। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने राजस्व कागजातों एवं स्थल का निरीक्षण कर प्रतिवेदित किया हैं कि अतिक्रमणकारी ने अवैध रूप से अनावाद बिहार सरकार (झारखण्ड सरकार) की भूमि पर निर्माण कर अतिक्रमण किया गया हैं। अतिक्रमणकारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया हैं। अतिक्रमणकारी को सेक्सन– 3 के तहत् नोटिस निर्गत किया गया था। अतिक्रमणकारी के द्वारा उपस्थिति दी गई हैं। अतिक्रमणकारी द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किये जो अभिलेख के साथ संलग्न हैं। अतिक्रमणकारी के द्वारा संबंधित भूमि के स्वामित्व से संबंधित किसी प्रकार का वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। अतिक्रमणकारी के पास कोई ऐसा साक्ष्य या कागजात नहीं हैं, जिसके आधार पर प्रमाणित हो कि मौजा– अ0क्षे0 मानगो वार्ड नं0– 10, खाता नं0– 727, प्लॉट नं0– 16, रकवा– 600 वर्गफीट या 15'X 40' भूमि पर अतिक्रमणकारी का स्वामित्व बनता हैं वर्णित भूमि पर पक्का निर्माण कर लोक भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा हैं। जिसके कारण ग्रामीणों के साथ काफी तनाव हैं साथ ही नाला को अतिक्रमण करने के फलस्वरूप पानी का निकासी अवरूद्ध होने की सम्भावना हैं। भूमि का स्वरूप डिमना नाला अंकित हैं। अतिक्रमणकारी के द्वारा अवैध रूप से अनावाद बिहार सरकार (झारखण्ड सरकार) भूमि हैं। तथा विहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अन्तर्गत बी0 पी0 एल0 ई0 एक्ट की धारा 2 में परिभाषित लोक भूमि के अन्तर्गत हैं। अतः सरकारी भूमि के रक्षार्थ वर्णित भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 6(2) के अनतर्गत अतिक्रमणकारी अपूर्वा मण्डल उर्फ बुढा मण्डल पिता स्व0 गोकुल मण्डल, ईशान मण्डल उर्फ चिन्टू मण्डल पिता अपूर्वा मण्डल सा0 गोकुल नगर, थाना एम0 जी0 एम0 मानगो जमशेदपुर का अच्छेदन आदेश देता हूँ। अतिक्रमणकारी को बी0 पी0 एल0 ई0एक्ट के तहत् नोटिस करें कि उक्त वर्णित भूमि पर से अतिक्रमणकारी पन्द्रह दिनों के अन्दर हटा लें। अन्यथा बल पूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा एवं उस पर की गई खर्च अतिक्रमणकारी से वसूली जाएगी। विहित प्रपत्र में सूचना निर्गत करें। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 28/7/20 समाहर्त्ता बी0 पी0 एल0 ई0 एक्ट के अन्तर्गत सह अंचल अधिकारी मानगो (हस्ताक्षर) 28/7/20 समाहर्त्ता बी0 पी0 एल0 ई0 एक्ट के अन्तर्गत सह अंचल अधिकारी मानगो	

Scanned by CamScanner